अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अमनदीप सिंह आदि बनाम बलतेज सिह आदि

53 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्याः– ......20...... / 2019

21.1.19

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश कियां गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के वाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 1.3.2019 को पेश हो। [signature]	
24.1.19 प्रा. पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश की ली गई। वादी अधि. उप. / प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री ... ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रति. सं. 1 ने हाजिर होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी सं. 2 दिनांक 1/2/19 को पेश हो। [signature]	अमनदीप [signature] (...) बलतेज सिंह [signature] (Kalu Chand ...)
1.2.19 आज पत्र उप. / प्रतिवादी सं. 1 की तलबी हेतु ... रखते हुए बन्द की जाती है वादीगण अधि. व प्रतिवादी सं. 1 अधि. की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 4.2.19 को पेश हो। [signature]	
4.2.19 आज पत्र उप. / वादीगण का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल पत्रावली है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पक्षकार डिक्री जारी हो। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया।	

[signature]

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेंन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

वाद सख्या :– 20/2019

1. **अमनदीप सिंह पुत्र श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
2. **रणजीत सिंह पुत्र श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**

–: वादीगण

बनाम

1. **बलतेज सिंह पुत्र श्री रूप सिह जाति जटसिख आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
2. **श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**

–: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थिति :–

1. **योगश झोरड अधिवक्ता** — **वादी**
2. **श्री कालूराम चोयल अधिवक्ता** — **प्रतिवादी सख्या 1**

निर्णय **दिनांक** 4·2·19

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक 1 सी.एस., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 28/22 के पत्थर नम्बर 104/358, मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 6, 15, 16, 25/2/0.228, पत्थर नम्बर 105/358, मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21/2/0.227, पत्थर नम्बर 107/359, मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 6, 7, 8, 9, 10, 14/2/0.051, पत्थर नम्बर 105/363, मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 21, 22, 23, 24 कुल किता 19 कुल क्षेत्रफल 4.554 हैक्टेयर, चक 2 सी. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 10/8 के पत्थर नम्बर 114/356, मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टेयर व चक 29 एनडीआर, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 43/44 के पत्थर नम्बर 108/354, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 12 ता 16, 25/2/0.228 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.493 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दफा 3 में वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक कृषि भूमि प्राप्त हुई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संयुक्त परिवार में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि एंव प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 एंव वादीगण के हक व हिस्सा एंव घराघरू बंटवारा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 परस्पर एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए वादीगण को प्राप्त प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज पैतृक कृषि भूमि में से वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवारा कर वादीगण का सौप दिया है। घराघरू बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवारा कर लिया गया एंव वादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण सींव व रकम राज को लेकर विवाद रहता है। अतः इस आशय की घोषणा फरमाई जाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 3 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है एंव इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करवाने का अधिकारी है।

Scanned by CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 व वादीगण ने स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक 1 सी.एस., खाता सख्या 28/22, खाता बलतेज सिह, जमाबन्दी सम्वत 2073/76 व चक 2 सी.एस. खाता सख्या 10/8, खाता बलतेज सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2073–76, चक 29 एनडीआर, खाता सख्या 43/44 खाता बलतेज सिह, जमाबन्दी सम्वत 2071–71 आदि पेश की गई है।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायमब नही की गई। वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि पक्षकारान हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में भाई, पिता, पुत्र वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान ने रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने मिलकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हो गये है। राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा में वर्णितानुसार मुताबिक घरेलू बंटवारा राजीनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करे एंव इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाकर घोषणा फरमाई जाने का निवेदन किया। वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम से दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को घरू बंटवारा के अनुसार मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहे है, जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक 1 सी.एस., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 28/22 के पत्थर नम्बर 104/358, मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 6, 15, 16, 25/2/0.228, पत्थर नम्बर 105/358, मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21/2/0.227, पत्थर नम्बर 107/359, मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 6, 7, 8, 9, 10, 14/2/0.051, पत्थर नम्बर 105/363, मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 21, 22, 23, 24 कुल किता 19 कुल क्षेत्रफल 4.554 हैक्टेयर, चक 2 सी. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 10/8 के पत्थर नम्बर 114/356, मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टेयर व चक 29 एनडीआर, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 43/44 के पत्थर नम्बर 108/354, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 12 ता 16, 25/2/0.228 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.493 हैक्टेयर में से वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 प्रत्येक बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। यदि प्रशनगत रकबां बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 4.2.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेंन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

वाद सख्या :– 20/2019

1. **अमनदीप सिंह पुत्र श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
2. **रणजीत सिंह पुत्र श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**

–: वादीगण

बनाम

1. **बलतेज सिंह पुत्र श्री रूप सिह जाति जटसिख आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 15, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**
2. **श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)**

–: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादीगण की ओर से श्री योगेश झोरड तथा अभिभाषक प्रतिवादी सख्या 1 श्री कालूराम चोयल की उपस्थिति में निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक 1 सी.एस., तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 28/22 के पत्थर नम्बर 104/358, मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 6, 15, 16, 25/2/0.228, पत्थर नम्बर 105/358, मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21/2/0.227, पत्थर नम्बर 107/359, मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 6, 7, 8, 9, 10, 14/2/0.051, पत्थर नम्बर 105/363, मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 21, 22, 23, 24 कुल किता 19 कुल क्षेत्रफल 4.554 हैक्टेयर, चक 2 सी. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 10/8 के पत्थर नम्बर 114/356, मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 16, 17, 24, 25 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्टेयर व चक 29 एनडीआर, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 43/44 के पत्थर नम्बर 108/354, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 12 ता 16, 25/2/0.228 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.493 हैक्टेयर में से वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 प्रत्येक बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के खातेंदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि प्रशनगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 5.2.19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner